



Neutral Citation No. I - 2026:AHC:128035

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 19525/2026

मानवेंद्र सिंह @ प्रिंस सिंह

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... प्रतिपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता: बीरेंद्र प्रताप सिंह

प्रतिपक्षी(गण) के अधिवक्ता: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान एजीए को सुना।
2. यह तत्काल जमानत याचिका आवेदक द्वारा जिला बलिया के थाना रसरा में मामला अपराध संख्या 249/2025 में बी.एन.एस. की धारा 109 और आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 के तहत में जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर की गई है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक निर्दोष है और वर्तमान मामले में उसे गलत तरीके से फंसाया गया है। यह पुलिस पार्टी पर फायरिंग का मामला है, जिसमें किसी भी पुलिसकर्मी के शरीर पर चोट नहीं आई है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि पुलिस पार्टी ने आवेदक के घुटने में गोली लगवाई। पुलिस की ओर से झूठी पुलिस मुठभेड़ दिखाई गई। जमानत आवेदन के पैराग्राफ नंबर 14 में आवेदक के आपराधिक इतिहास को अच्छी तरह से समझाया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक 04.07.2025 से जेल में बंद है और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।
4. इसके विपरीत, विद्वान एजीए ने आवेदक की जमानत प्रार्थना का विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि आवेदक के खिलाफ अपराध में उसकी संलिप्तताके संबंध में पर्याप्त सबूत हैं, इसलिए, वह जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

5. पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी दलीलों, आरोपों की प्रकृति, रिकॉर्ड पर लाए गए साक्ष्य, आवेदक द्वारा की गई कैद की अवधि, आपराधिक पृष्ठभूमि की व्याख्या, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, इस न्यायालय ने पाया कि आवेदक ने जमानत देने के लिए एक मामला बनाया है।

8. तदनुसार, जमानत आवेदन की अनुमति दी जाती है।

9. उपर्युक्त मामले में अपराध के आरोपी आवेदक **मानवेंद्र सिंह @ प्रिंस सिंह** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत मुचलका और दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदक इस आशय का एक वचन पत्र दायर करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि को कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त की चूक के मामले में, विचारण न्यायालय के लिए इसे जमानत की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के रूप में माना जाएगा और कानून के अनुसार आदेश पारित किया जाएगा।

(ii) आवेदक व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से निर्धारित प्रत्येक तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। उसकी अनुपस्थिति के मामले में, पर्याप्त कारण के बिना, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 229-क/269बीएनएस के तहत कार्यवाई कर सकता है।

(iii) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और धारा 82 द.प्र.सं./84 बीएनएसएस के तहत अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उद्घोषणा जारी की जा सकती है और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तारीख को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके खिलाफ धारा 174-ए भा.द.सं./धारा 209 बीएनएस के तहत कार्यवाही शुरू करेगा।

(iv) आवेदक (1) मामले की सुनवाई, (2) आरोप तय करने और (3) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313/351 के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय के लिए इस तरह

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



की चूक को जमानत की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के रूप में माना जाएगा और कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

10. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियां किसी भी तरह से गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विद्वान विचारण न्यायाधीश को प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

18 जून 2026

ए.पी. पांडे

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।